



ज़िला गंगा समितियाँ और 'नमामगिंगे'

प्रलिस के लयः

नमामगिंगे कार्यक्रम, ज़िला गंगा समितियाँ, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन ।

मेन्स के लयः

गंगा नदी के कायाकल्प में नमामगिंगे कार्यक्रम का महत्त्व ।

चर्चा में क्यों?

जल शक्तिमंत्रालय ने 'नमामगिंगे' कार्यक्रम के तहत 'डजिटल डैशबोर्ड फॉर डिसट्रिक्ट गंगा कमेटी (DGCs) परफॉर्मेंस मॉनीटरिंग सिस्टम' (GDPMS) लॉन्च किया है ।

- आम लोगों और नदी के बीच संबंध को बढ़ावा देने में डिसट्रिक्ट गंगा कमेटी यानी ज़िला गंगा समितियों की मदद करने के लिये इस डजिटल डैशबोर्ड को तैयार किया गया है ।

'ज़िला गंगा समितियाँ' के वषिय में:

- गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रबंधन एवं प्रदूषण उपशमन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ज़िला स्तर पर एक तंत्र स्थापित करने के लिये गंगा नदी बेसिन पर स्थित ज़िलों में 'ज़िला गंगा समितियाँ' का गठन किया गया था ।
- DGCs को 'नमामगिंगे' के तहत वकिसति संपत्तिका उचित उपयोग सुनिश्चित करने, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में गरिने वाले नालों/सीवेज की नगिरानी करने तथा गंगा कायाकल्प के साथ लोगों का एक मज़बूत जुड़ाव बनाने का कार्य सौंपा गया है ।

'नमामगिंगे' क्या है?

- नमामगिंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मशिन है, जसि जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में अनुमोदति किया गया था, ताक प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा किया जा सके ।
- यह जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण वभाग तथा जल शक्तिमंत्रालय के तहत संचालति किया जा रहा है ।
- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन (NMCG) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूहों (SPMGs) द्वारा कार्यान्वति किया जा रहा है ।
- NMCG राष्ट्रीय गंगा परषिद का कार्यान्वयन वगि है, यह वर्ष 2016 में स्थापति किया गया था जसिने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधकिरण (NGRBA) को प्रस्थापति किया ।
- इसके पास 20,000 करोड़ रुपए का केंद्रीय वतितपोषति, गैर-व्यपगत कोष है और इसमें लगभग 288 परयोजनाएँ शामिल हैं ।
- कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ हैं:
 - सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर
 - रविर फ्रंट डेवलपमेंट
 - नदी-सतह की सफाई
 - जैव वविधिता
 - वनीकरण
 - जन जागरण
 - औद्योगकि प्रवाह नगिरानी
 - गंगा ग्राम

संबंधति पहलें:

- **गंगा एक्शन प्लान:** यह पहली नदी कार्ययोजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्ज़न और घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा वषिकृत एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे (पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से) को नदी में प्रवेश करने से रोकना था।
 - **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना गंगा एक्शन प्लान** का ही वसितार है। इसका उद्देश्य गंगा एक्शन प्लान के फेज-2 के तहत गंगा नदी की सफाई करना है।
- **राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA):** इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-3 के तहत किया गया था।
- इसने गंगा नदी को भारत की '**राष्ट्रीय नदी**' घोषित किया।
- **स्वच्छ गंगा कोष:** वर्ष 2014 में इसका गठन गंगा की सफाई, अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना तथा नदी की जैविक विविधता के संरक्षण के लिये किया गया था।
- **भुवन-गंगा वेब एप:** यह गंगा नदी में होने वाले प्रदूषण की नगिरानी में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- **अपशिष्ट नपिटान पर प्रतर्बिध:** वर्ष 2017 में [नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल](#) द्वारा गंगा नदी में किसी भी प्रकार के कचरे के नपिटान पर प्रतर्बिध लगा दिया गया।

गंगा नदी प्रणाली:

- गंगा नदी उद्गम जसि 'भागीरथी' कहा जाता है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा पोषित है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में यह अलकनंदा से मलित है।
- हरद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है।
- गंगा में हिमालय की कई सहायक नदियाँ मलित हैं, जनिमें से कुछ प्रमुख नदियाँ यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी आदि हैं।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/district-ganga-committees-and-namami-gange>

